

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
महानदी भवन, मत्रालय, नया रायपुर

—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक २८/०३/२०१८

क्रमांक : २५८८/२३१९/२०१८/१८ एतद द्वारा राज्य शासन, सामान्य बुनियादी सुविधाओं के संचालन / संधारण, निर्मित परिसंपत्तियों के रख-रखाव, निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण, कार्यालयीन एवं नगर पालिक कृत्यों के संपादन हेतु, नियमित अमले की उपलब्धता को संज्ञान में लेते हुए, वितीय अनुशासन तथा मितव्यतता के दृष्टिकोण से, नगर पालिक निगम रायपुर जिला रायपुर में प्लेसमेंट पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

क्र.	शाखा का नाम	पदश्रेणी	प्लेसमेंट कर्मचारियों की कुल संख्या
1	लोक निर्माण एवं भवन अनुज्ञा	सुरक्षा गार्ड	150
		श्रमिक	84
		वाहन चालक	16
2	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	सफाई कामगार	2380
		वाहन चालक	91
3	जल कार्य	हेल्पर	57
		वाहन चालक	23
		सुरक्षा गार्ड	5
		पंपमेन/लाईनमेन	118
4	विद्युत/यांत्रिकी	विद्युतकार	40
		हेल्पर	49
		सुरक्षा गार्ड	2
5	सामान्य प्रशासन	कम्प्यूटर ऑपरेटर	66
		सुरक्षा गार्ड	5
6	उद्यानिकी	श्रमिक/माली	85
7	राजस्व/बाजार	श्रमिक	15
8	मोटर कर्मशाला	वाहन चालक	36
		सुरक्षा गार्ड	3
कुल			3225


शर्त :—

- उपरोक्त अधिकतम संख्या का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु अनुबंधित एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ करने की स्थिति में, पुनरीक्षण किया जावेगा एवं अधिकतम आवश्यक संख्या पुनर्निर्धारित की जावेगी।

- 2 उपरोक्त तालिका अनुसार कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल कर्मचारी मात्र प्लेसमेंट पर, विहित प्रक्रियानुसार प्रतिस्पर्धा से चयनित प्लेसमेंट एजेंसी से ही कार्य पर रखे जावेगे। इसके एवज में, नियमित/संविदा या अन्य विधि से कोई नियुक्ति नहीं की जावेगी।
- 3 राज्य शासन द्वारा निकाय की जनसंख्या, सीमा, कर्तव्यों, परिसंपत्तियों की संख्या एवं अन्य आनुषांगिक सुसंगत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, समय—समय पर समीक्षा कर प्लेसमेंट पर कुशल, अर्द्धकुशल अकुशल कर्मचारी नियुक्त करने की अधिकतम सीमा में यथा कमी/वृद्धि की जा सकेगी।
- 4 प्लेसमेंट के कर्मचारियों की प्रातः कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं सायं कार्य समाप्ति के उपरांत, अर्थात् दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाना अनिवार्य होगा।
- 5 बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही, प्लेसमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक, उनके बैंक खाते में मात्र आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा। ईपीएफ, ईएससीआई आदि की भी गणना कर, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा आरटीजीएस द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा एवं बैंक द्वारा आरटीजीएस की गई राशि की मूल रसीद प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से निकाय को प्रस्तुत की जावेगी। निकाय द्वारा संविदा शर्तों के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान/प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।
- 6 प्लेसमेंट कर्मचारियों को, जिला कलेक्टर द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7 प्लेसमेंट पर कर्मचारी रखे जाने हेतु श्रम विभाग के समस्त नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8 निकाय की राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नियमित पद संरचना में, भविष्य में रिक्त पद पर पूर्ति होने के समय, प्लेसमेंट के समान/समकक्ष कर्मचारियों की संख्या में स्वमेव, समानुपातिक कटौती हो जावेगी। उदाहरण स्वरूप यदि निकाय में सहायक ग्रेड-3 के एक रिक्त पद पर भर्ती की जाती है तो प्लेसमेंट में लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर की निर्धारित संख्या में स्वमेव 01 कर्मचारी की कमी हो जावेगी।
- 9 यदि निकाय में, न्यायालय अथवा राज्य शासन के पूर्व आदेशों के कारण दैनिक वृत्ति पर कर्मचारी कार्यरत है, जो कि प्लेसमेंट के अंतर्गत कार्यरत नहीं है, उनके प्रकरणों की स्थिति (Status) इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी, किन्तु मात्र उनकी संख्या की गणना प्लेसमेंट की अधिकतम संख्या के अंतर्गत की जावेगी।

- 10 आपात स्थिति/आकस्मिकता/प्राकृतिक संकट के दौरान यथा छ.ग. नगर पालिक अधिनिमय 1956 तथा छ.ग. नगर पालिका प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998, तथा समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 11 उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके लागू होने की तिथि से, निर्धारित संख्या से अधिक प्लेसमेंट कर्मचारी निकाय में रखे जाने पर, होने वाले अतिरिक्त व्यय की संस्था के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, लेखाधिकारी/लेखा प्रभारी तथा संबंधित अधिकारी से समानुपातिक कटौती की जावेगी।
- आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एच.आर. दुबे) २८/३
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृष्ठमांक / २५८९ / २३१९ / २०१८ / १८
प्रतिलिपि :-

- निज सचिव, मान. मंत्री जी., नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. नया रायपुर।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग.।
- कलेक्टर, जिला रायपुर।
- संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर।
- महापौर/आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर।
- प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
- गार्ड फाईल हेतु।


२८/३

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग